न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –111/2020
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2020/00138

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमति बिदामी देवी पत्नि बीरमाराम जाति रेगर निवासी आलनियावास तहसील रियांबडी जिला नागौर (राजस्थान)		1. ग्यारसीदेवी पुत्री धुकल जाति रेगर 2. डूंगाराम पुत्र धुकल जाति रेगर निवासीगण आलनियावास तहसील रियांबडी जिला नागौर (राजस्थान) 3. तहसीलदार, रियांबडी जिला नागौर (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय

दिनांक : 19/07/2021

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा वाके मौजा आलनियावास का म्यूटेशन संख्या 1278 जो दिनांक 20.12.2019 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत की गई, जो दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजपैरोकार ने हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी, मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील पर बहस सुनी जाने से पूर्व प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने का कथन करते हुए हस्तगत प्रकरण में प्रथमतः क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। राजपैरोकार का कथन उचित प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि हस्तगत में प्रकरण जिस नामान्तरकरण जैर अपील को अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गई है वह नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत आलनियावास द्वारा स्वीकृत किया है, जो मूल नामान्तरकरण [illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है। राजपैरोकार द्वारा उक्त संबंध में राजस्व विभाग जयपुर की [illegible] क्रमांक एफ.5(21)राज/4/80/35 दिनांक 04.09.1982 की प्रति प्रस्तुत कर बहस जारी रखते हुए कथन किया कि उक्त अधिसूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित [illegible]न्तरकरण आदेश के विरुद्ध अपील उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर ... (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अधिकारी के समक्ष होने का प्रावधान है, जो राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.5 (21) राज/4/80/108 दिनांक 19.11.1983 के द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री रमेश कुमार ढाका ने राजपैरोकार की बहस का समर्थन करते हुऐ बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नामान्तरकरण की सत्यप्रति पटवारी पटवार मण्डल आलनियावास द्वारा दिनांक 21.07.2020 को जारी की गई है, जिसमें नामान्तरकरण स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य अंकित है, परन्तु हस्ताक्षर के नीचे स्वीकृतकर्ता की मोहर अंकित नहीं है, जिससे अपीलान्ट को यही अनुमान रहा की उक्त नामान्तकरण जैर अपील तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया है, और इसी अनुमान के आधार पर उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की है। न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मूल नामान्तरकरण के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत आलनियावास द्वारा स्वीकृत किया है, का कथन करते हुए उक्त अपील संबंधित न्यायालय को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। यह सही है कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण जैर अपील की सत्यप्रति के अनुसार उसमें नामान्तरकरण स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य है, परन्तु हस्ताक्षर के नीचे नामान्तकरण स्वीकृतकर्ता की मोहर अंकित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर मूल नामान्तकरण तहसीलदार रियांबड़ी से चाहा गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपने पत्रांक–834 दिनांक 15.03.2021 से मूल नामान्तरकरण भिजवाया, जिस नामान्तकरण का अवलोकन करने से पाया कि उक्त नामान्तकरण सरंपच ग्राम पंचायत आलनियावास द्वारा स्वीकृत किया गया है। राजपैरोकार द्वारा उक्त संबंध में उक्त संबंध में प्रस्तुत राजस्व विभाग जयपुर की अधिसूचना कमांक–एफ.5(21)राज/4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का प्रावधान से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से पोषणीय नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से पोषणीय नहीं से खारिज की जाती है। अपीलान्ट समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाया जाकर निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर